27

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः–49/2021 **दायर दिनांकः– 22.09.2021**

जीसीएमएस नं. 2021/458

वशीरन बेवा नूर मोहम्मद उम्र 71 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

——प्राथी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित–1.श्री राधेश्याम शर्मा वकीलवादी

2.पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक** 6-6-24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति नूर मोहम्मद व अन्य खातेदारान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा न0 2 रकबा 2 ऐयर, 74 रकबा 34 ऐयर, 75 रकबा 10 ऐयर, 76 रकबा 15 ऐयर, 77 रकबा 17 ऐयर, 78 रकबा 15 ऐयर, 79 रकबा 29 ऐयर, 83 रकबा 19 ऐयर, 84 रकबा 73 ऐयर, 85 रकबा 58 ऐयर, 86 रकबा 51 ऐयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.27 है0 वाकेतन ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है, उक्त आराजीयात में प्रार्थीया के पति का नाम बतौर संयुक्त खातेदार जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 व सम्वत 2055 से 2058 में दर्ज है।

प्रार्थीया के पति दिनांक 07.12.2011 को फौत हो गये हैं तथा प्रार्थीया के पति के फौत होने के पश्चात हाल राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2071 से 2074 में प्रार्थीया का नाम इमामुद्दीन पुत्र वजीरनूरमोहम्मद हिस्सा 1/67 जाति [illegible] सहवन से दर्ज हो गया, जबकि आराजीयात मुतजिक्रा [illegible] के फौत होने के पश्चात प्रार्थीया का नाम वजीरनूरमो[illegible] की जगह [illegible] बशीरन बेवा नूरमोहम्मद मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए था, लेकिन हाल राजस्व रिकॉर्ड में कम्प्युटर पर उक्त इन्द्राज अमल करते वक्त प्रार्थीया का नाम वजीरानूरमोहम्मद हिस्सा 1/67 दर्ज कर दिया जो क्लेरिकल मिस्टेक से हुआ है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

(28)

जिसे संशोधन किया जाकर प्रार्थीया का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2071 से 2074 में बशीरन बेबा नूरमोहम्मद जाति मुसलमान दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थीया दिनांक 03.09.2021 को हल्का पटवारी के पास अपने उक्त आराजीयात पर लोन लेने के लिये केसीसी कार्ड बनवाने गयी तो प्रार्थीया को उक्त गलती का पता चला, इसलिए प्रार्थीया ने दिनांक 03.09.2021 को ही हाल राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेकर यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ जो अन्दर म्याद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2071 से 2074 में प्रार्थीया का नाम इमामुद्दीन पुत्र वजीरानूरमोहम्मद हजफ किया जाकर अलग से प्रार्थीया का नाम बशीरन बेबा नूरमोहम्मद मुताबिक हिस्सा हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फ़रमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र/रिपोर्ट पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 इस हद तक स्वीकार है कि जमाबन्दी संवत 2055–58 व 2063–66 में प्रार्थी के पति का नाम सह खातेदारी में दर्ज है।, जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 ता 6 कानूनी हैं। वादी वशीरन वेवा नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर के इस आशय से वाद प्रस्तुत किया है कि वादी का पति नूर मोहम्मद व अन्य सहखातेदार भूमि वाके तन ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन स्थित है। प्रार्थिया के पति का निधन होने पर हाल जमाबंदी सम्वत 2071–73 में प्रार्थिया का नाम इमामुद्दीन पुत्र वजीरानूरमोहम्मद हिस्सा 1/67 सहवन से दर्ज हो गया है जिसे वशीरन वेवा नूरमोहम्मद दर्ज किया जावे। आईएलआर वृत खेडा व पटवारी गुनसार ने रिपोर्ट अंकित की है कि वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गलत अंकित हो गया है। खातेदार इमामुद्दीन पुत्र वजीरा तथा नूर मोहम्मद पु अहमद पृथक से खातेदार है। जिसका हाल जमाबंदी में पृथक–पृथक खातेदार दर्ज होना है। खातेदार नूर मोहम्मद पुत्र अहमद की विरासत नामांतकरण दर्ज होने पर ही प्रार्थिया व उत्तराधिकारियों के हक में [illegible] जारी की जा सकेगी। पैरोकार सरकार का जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:22 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2063–66, 2055–58, 2071–74, मृत्यु प्रमाण पत्र नूर मोहम्मद, प्रार्थी वशीरन आधार कार्ड पेश किया। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2063–66, 2055–58, 2071–74 खसरा नम्बर 2 रकबा 2 ऐयर, 74 रकबा 34 ऐयर, 75 रकबा 10 ऐयर, 76 रकबा 15 ऐयर, 77 रकबा 17 ऐयर, 78 रकबा 15 ऐयर, 79 रकबा 29 ऐयर, 83 रकबा 19 ऐयर, 84 रकबा 73 ऐयर, 85 रकबा 58 ऐयर, 86 रकबा 51 ऐयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.27 है0 वाकेतन ग्राम कुतकपुर में प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थी की उक्त राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी नहीं होने के कारण एवं प्रार्थिया का नाम तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित होने, खातेदार इमामुद्दीन पुत्र वजीरा तथा नूर मोहम्मद पुत्र अहमद पृथक से खातेदार है जिसका हाल जमाबंदी में पृथक पृथक खातेदार दर्ज होना है, खातेदार नूरमोहम्मद पुत्र अहमद का विरासत नामांतकरण दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट की श्रैणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नं0 खसरा नम्बर 2 रकबा 2 ऐयर, 74 रकबा 34 ऐयर, 75 रकबा 10 ऐयर, 76 रकबा 15 ऐयर, 77 रकबा 17 ऐयर, 78 रकबा 15 ऐयर, 79 रकबा 29 ऐयर, 83 रकबा 19 ऐयर, 84 रकबा 73 ऐयर, 85 रकबा 58 ऐयर, 86 रकबा 51 ऐयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.27 है0 वाकेतन ग्राम कुतकपुर पटवार हल्का गुनसार, तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 6-6-24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:08:22 IST
Reason: SelfAttested